

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदाजत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीहनी बंगाम मकरेलाल

किस्म मुकदमा 115 10 67 रान 2015

दिनांक	हुयम या कार्यवाही मय इतिहास जज	दिनांक
29-4-15	<p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जोंच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10-7-15 पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
24-6-15	<p>पत्रावली कोर्ट के माध्यम से पेश/वाकी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर शान्तिनाथी पेश किया गया जिसमें श्रीजान के रिफा की अर्जेंटीम द्वारा विचारित भूमि को नष्ट कर बतलाने पर अर्जेंटीम वाकी का वाक्या है तो इतनेग व प्रतिवादी वत वाक्या न्यायालय है तो वाकीगण को वाक्या से मुफ्त करेगा/ तदनुसार डिप्टी पारित कराना पश्चात्</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि श्रीजान के रिफा वि. अ. नं. 2929/11 शक 1-10 पर तहसीलदार अर्जेंटीम गठित कर सेवे पर नष्ट कर के वत प्रतिवादी को न्यायालय वाक्या है तो वाकी को वाक्या से मुफ्त करे। अर्जेंटीम पारित कर आधा आधा बहन करे।</p> <p>आज मह निरीक्षण ले न्यायालय में सुनवाया गया। डिप्टी पारित कर पालकोहेनु लहरीपदा के निष्पत्ति पत्रावली के गलत शुमार एच. ए. नं. 1000 अंश है।</p> <p style="text-align: center;">(देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल</p>	